



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-05-06-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त अब्बास खां उर्फ संजय को आर्म्स एक्ट के दो प्रकरण में
मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 600 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
!

थाना-रामनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-0245/1993, धारा- 25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0-0042/2004, धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अब्बास खां उर्फ संजय पुत्र जमील अहमद निवासी 4/193 बाड़ी गड़ही थाना रामनगर जनपद वाराणसी को थाना रामनगर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 05.06.2024 को मा0 न्यायालय ACJM-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0सं0-0245/1993, धारा- 25 आर्म्स एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा व 300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा मु0अ0सं0-0042/2004, धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10-10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी